न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 10/2020

अपीलाण्ट्स

1. खेमाराम पुत्र रावताराम
2. लाधाराम पुत्र रावताराम
3. सवाईराम पुत्र रावताराम
4. लिखमाराम पुत्र रावताराम
5. गंगादेवी पुत्री रावताराम
6. जमनादेवी पुत्री रावताराम
7. सुआदेवी पुत्री रावताराम
8. पदमादेवी पुत्री रावताराम

जाति कुम्हार निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत आलपुरा जरिये सरपंच पंचायत समिति गुड़ामालानी
2. नाथाराम पुत्र रावताराम
3. अणसीदेवी पत्नी नाथाराम जाति कुंम्हार निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम खिलाफ ग्राम आलपुरा के म्युटेशन संख्या 1685 दिनांक 05.09.2019 को ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा पारित किया गया

उपस्थित :–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता उत्तरदाता सं. 2 व 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.07.2022

(संशोधित निर्णय दिनांक–23.08.2022)

अपीलान्ट्स ने यह अपील ग्राम आलपुरा के नामान्तरकरण संख्या 1685 दिनांक 05.09.2019 को ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम आलपुरा के खसरा नम्बर 37 रकबा 0–03 वीघा, खसरा नम्बर 39/4 रकबा 8–13 वीघा, खसरा नम्बर 39/8 रकबा 4–07 वीघा रावता पुत्र टीकू कौम कुंभार की खातेदारी में दर्ज थे, रावता दिनांक 27.12.2016 को फौत होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट व उत्तरदाता संख्या 2 एवं अपीलाण्ट व उत्तरदाता [illegible] माता [illegible]देवी के नाम से म्यूटेशन भरा जाकर [illegible] परन्तु उत्तरदाता संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत आलपुरा ने पटवारी द्वारा मृतक रावता के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम म्यूटेशन भरकर ग्राम पंचायत में निर्णय हेतु पेश करने पर ग्राम पंचायत ने सिर्फ अपीलान्ट की माता के नाम म्यूटेशन संख्या 1685 दिनांक 05.09.2020 पारित दिया, जिससे रावता के विधिक वारिसान अपीलाण्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 के नाम दर्ज कर स्वीकृत करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

आदेश किये जाने हेतु उक्त अपील पेश करना आवश्यक होने पर पेश की गई।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपीलाण्ट्स की अपील का जबाव पेश कर कथन किया कि रावता ने अपने जीवन काल में ही धारा 53 रा.का.अ. के तहत पैतृक सम्पति में अपने पुत्रों अपीलाण्ट्सगण को बहिस्सा बराबर बंटवाडा कर दिया था तथा अपीलाण्टस संया 5 ता 8 ने अपना हिस्सा जरिये हकतर्क हकत्याग कर दिया गया था, एक हिस्सा रावता ने अपने स्वयं के हक में रखा था, रावता की मृत्यु हो जाने पर नामान्तरणकरण संख्या 1685 रावता की पत्नी चतरू के नाम ग्राम पंचायत द्वारा विधिक रूप से पारित किया गया है, अपीलाण्टगण को पूर्व में ही हक हिस्से प्राप्त होने से खसरा नम्बर 37 रकबा 0—03 बीघा, खसरा नम्बर 39/4 रकबा 8—13 बीघा, खसरा नम्बर 39/8 रकबा 4—07 बीघा में चतरू के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। जमीन की कीमतों में वृद्धि हो जाने एवं अपीलाण्टगण की नीयत में खोट आ जाने से अपीलाण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपीलान्टगण संख्या 5 ता 8 को बहलाफुसलाकर यह अपील पेश की है, जबकि रावता के जीवनकाल से ही अपीलाण्टगण को पैतृक भूमि के बंटवाडा एवं अपीलाधीन नामान्तरण का ज्ञान था, अतः उक्त अपील मनगढन्त व म्याद वाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे। अपील तथ्यों के सम्बन्ध में भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिर्पोट ली गई। भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 15 दिनांक 18.10.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आलपुरा के खसरा नम्बर 37 रकबा 0—03 बीघा, खसरा नम्बर 39/4 रकबा 8—13 बीघा, खसरा नम्बर 39/8 रकबा 4—07 बीघा कुल रकबा 13—03 बीघा में नामान्तरकरण संख्या 1685 स्वीकृति दिनांक 05.09.2019 के द्वारा रावता वल्द टीकू कौम कुम्हार के फौत होने पर चतरूदेवी पत्नी रावताराम के नाम अमलदरामद किया गया, उक्त नामान्तरकरण को दायर करते समय पटवारी हल्का आलपुरा द्वारा रावताराम के वारिसान खेमाराम लाधाराम सवाईराम नाधाराम लिखमाराम गंगा जमना पदमा सुआ पि0 रावताराम चतरूदेवी पत्नी रावताराम के नाम दर्जकिये गये। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.09.2019 में केवल चतरूदेवी पत्नी स्व. रावताराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया। नामान्तरकरण पर वारिसान के नाम छोड़ने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा रावताराम के वैद्य वारिसान में से केवल एक वारिसान चतरूदेवी पत्नी रावताराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना तथा शेष वारिसान के नाम बिना किसी कारण [illegible] अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:01 IST
Reason: Self Attested

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण से बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली उपलब्ध रेकर्ड [illegible] में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1685 दिनांक 05.09.2019 का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। उक्त नामान्तरणकरण तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा रावताराम के विधिक वारिसान अपीलाण्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 व चतरू पत्नी रावता के नाम दर्ज कर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत आलपुरा के समक्ष पेश किया गया, परन्तु ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा केवल मात्र रावताराम की पत्नी चतरू

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अकेले के नाम स्वीकृत कर दिया गया, तथा अकेले ही चतरू पत्नी रावता अकेले के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई कारण भी उक्त नामान्तरकरण पर अंकित नहीं किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 15 दिनांक 18.10.2021 द्वारा स्पष्ट किया है कि ग्राम आलपुरा के खसरा नम्बर 37 रकबा 0–03 बीघा, खसरा नम्वर 39/4 रकबा 8–13 बीघा, खसरा नम्बर 39/8 रकबा 4–07 बीघा कुल रकबा 13–03 बीघा में नामान्तरकरण संख्या 1685 स्वीकृति दिनांक 05.09.2019 ग्राम पंचायत आलपुरा द्वारा रावताराम के वैद्य वारिसान में से केवल एक वारिसान चतरूदेवी पत्नी रावताराम के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना तथा शेष वारिसान के नाम बिना किसी कारण छोड़ना अवैध है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1685 दिनांक 05.09.2019 त्रुटिपूर्ण भरा गया है। जहां कोई आदेश Void ab entio हो, वहां उसे किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है। यद्यपि विधि विरूद्ध आदेश को बनाये रखना भी न्यायोचित नहीं है। अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध मे अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अपील के तथ्यों एवं वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1685 ग्राम आलपुरा के खसरा नम्बर 37 रकबा 0–03 बीघा, खसरा नम्बर 39/4 रकबा 8–13 बीघा, खसरा नम्बर 39/8 रकबा 4–07 बीघा कुल रकबा 13–03 बीघा में स्वीकृत आदेश को निरस्त कर अपीलान्टगण व उत्तरदाता संख्या 2 एवं चतरूदेवी पत्नी रावताराम का नाम दर्ज कर स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:01 IST
Reason: SelfAttested